26 स्मारकों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टिकट लगा दिया है। इनमें गुजरात व गोवा का एक-एक स्मारक, केरल के दो, मध्यप्रदेश के सात, महाराष्ट्र के पांच, तमिलनाडु के दो, उत्तर प्रदेश के चार, राजस्थान का एक व दिल्ली का भी एक स्मारक शामिल हैं।

राहत की आस में राजीव कुमार फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास

सारधा मामला ▸ कुमार पर सुबूतों से छेड़छाड़ का लगा है आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल का हवाला देकर गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की, वकील ने कहा-सात में चार दिन तो बीत चुके हैं

सारधा चिट फंड घोटाले में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ आइपीएस और कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कुमार ने अर्जी दाखिल कर पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट के सात दिन के समय को बढ़ाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सीबीआइ की अर्जी स्वीकार करते हुए राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली थी लेकिन कुमार को अग्रिम जमानत के लिए सक्षम अदालत जाने का मौका देते हुए गिरफ्तारी पर रोक का आदेश सात दिन तक जारी रखा था। सात दिन की यह अवधि 24 मई को खतम हो रही है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ के सामने राजीव कुमार के वकील ने सोमवार को मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल चल रही है इसलिए अदालतों में कोई

कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में राजीव कुमार अग्रिम जमानत पाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर लगाई गई सात दिन की रोक की अवधि बढ़ा दे। वकील ने कहा कि सात में से चार दिन बीत चुके हैं। वकील की इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि 17 मई का आदेश तीन न्यायाधीशों की पीठ का था। 'आप वकील हैं और आपको मालूम होगा कि प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं (यानी कौन सा केस कौन सी पीठ सुनेगी, यह तय करते हैं)।' पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए उचित पीठ के गठन हेतु वे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री या सेक्रेटरी जनरल से मिलें।

सारधा घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने से पहले राजीव कुमार पश्चिम बंगाल में इस घोटाले की जांच कर रही एसआइटी के मुखिया थे। सीबीआइ का आरोप है कि राजीव कुमार ने एसआईटी जांच के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्य उसे नहीं सौंपे हैं।

एजेंसी ने राजीव कुमार पर घोटाले से संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और सारधा घोटाले में बड़े लोगों और नेताओं को बचाने का आरोप लगाया है। सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक के पांच फरवरी के आदेश हटाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने गत 17 फरवरी को स्वीकार कर लिया था और गिरफ्तारी से रोक हटा दी थी।

प्रिया रमानी से न होटल में मिला और न निजी सवाल पूछे : अकबर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्व राज्यमंत्री एमजे अकबर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मामले में सोमवार को विशेष अदालत में पेश हुए। रमानी के वकील द्वारा की गई जिरह के दौरान अकबर ने खुद पर लगे आरोप से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 1993 में मुंबई के होटल में वह न तो रमानी से मिले और न ही कभी निजी सवाल पूछे। चूंकि, अकबर से जिरह पूरी नहीं हो सकी, लिहाजा अदालत ने अगली सुनवाई छह जुलाई के लिए तय की है।

इस दौरान रमानी की वकील रेबेका जॉन ने अकबर से कई सवाल पूछे। ज्यादातर सवाल 1993 में रमानी को इंटरव्यू के लिए होटल में बुलाने से जुड़े थे। रमानी की वकील ने अकबर से कहा कि उन्होंने रमानी को न सिर्फ होटल के कमरे में बुलाया, बल्कि उन्हें शराब की पेशकश की। उनकी पसंद के गीत पूछे गए और कई निजी सवाल भी किए गए। अकबर ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने कभी होटल में मुलाकात नहीं की।

पिछले साल अक्टूबर में तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगा था। मी-टू अभियान के दौरान एक के बाद एक कई महिला पत्रकारों ने अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और महिला पत्रकार प्रिया रमानी पर मानहानि का केस दायर किया था।

गंगा में एक बूंद प्रदूषण भी चिंता की बात सख्त रवैया रखें अधिकारी : एनजीटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि गंगा में प्रदूषण की एक बूंद भी चिंता की बात है। नदी के संरक्षण के लिए सभी अधिकारियों का रवैया सख्त होना चाहिए। एनजीटी ने मामले पर ठोस कार्य योजना बनाने को भी कहा है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए उसकी कार्य योजना को लेकर खिंचाई की और कहा कि यह शीघ्र समयसीमा और प्रदूषण को प्रतिबंधित करने के प्रयास वाली ठोस योजना नहीं दर्शाता।

पीठ ने कहा, 'एनएमसीजी ने कानपुर से गंगा सागर के बीच नियोजित और निष्पादित योजनाओं की स्थिति के बारे में सटीक सूचना नहीं दी है। इसलिए, एनएमसीजी के हलफनामे से कोई मदद नहीं मिली है। एनएमसीजी की तरफ से पेश वकील के पास भी पर्याप्त जानकारी नहीं है और वह एनएमसीजी के निदेशक (तकनीक) प्रवीण कुमार पर आश्रित हैं, जो खुद इस ट्रिब्यूनल की सहायता करने में सक्षम नहीं हैं।'

पीठ ने कहा कि दलीलें सुनने के बाद हमने पाया है कि अधिकारियों का रवैया प्रदूषण रोकने की बजाय प्रदूषण करने वालों की सहायक है। पीठ में जस्टिस एसपी वांगड़ी और के

कहा- नदी को बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाएं

रामकृष्णन भी शामिल थे। पीठ ने एनएमसीजी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा ताकि इस ट्रिब्यूनल को सटीक जानकारी के साथ एक उपयुक्त व्यक्ति की सहायता मिल सके। ऐसा करने में विफल रहने पर ट्रिब्यूनल ने एनएमसीजी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

पीठ ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरफ से किसी वकील के पेश नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि सभी पांचों राज्यों (उपरोक्त तीन राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि गंगा में प्रदूषित पानी नहीं गिरे। अगर इसका उल्लंघन होता है तो इन राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है।

गंगा के किनारों पर अवैध शिविरों में न रहे कोई

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारों पर कोई भी अवैध तरीके से शिविर लगा कर न रहे। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'उत्तराखंड राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर अवैध रूप से शिविर लगा कर कोई न ठहरे (कैंपिंग)। हम नीलकंठ मार्ग की तरफ पौड़ी गढ़वाल जिले के पियानी गांव में कथित अवैध कैंपिंग का विशेष उल्लेख कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को ई-प्रवाह की नीति को स्पष्ट तौर पर समझाना होगा।' पीठ ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा या उसकी सहायक नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक अपशिष्ट डालने को प्रतिबंधित करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने आगाह किया कि कार्रवाई करने में विफल रहने पर नदी में अपशिष्ट या गंदा पानी छोड़ने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या अधिकारियों से मुआवजा वसूला जाएगा।

काला धन कानून को बैक डेट से लागू करने पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट काला धन कानून को बैक डेट से लागू करने की केंद्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने 2016 के काला धन कानून को जुलाई, 2015 से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसमें बैक डेट से अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच करने का प्रावधान था।

केंद्र ने हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर भी एतराज जताया है, जिसमें उसने आयकर विभाग को वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपित गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। खेतान के खिलाफ काला धन कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अप्रैल, 2016 में अधिनियमित काला धन और कर अधिनियम आरोपण को जुलाई, 2015 से लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

एक्जिट पोल के अनुरूप ही रहेगा चुनाव परिणाम : जेटली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक्जिट पोल में राजग को बहुमत के रुझान को लेकर विपक्षी दलों की ओर से उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को तंज किया कि यह सर्वे ईवीएम से नहीं होता। वहीं, कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार गले की फांस बन गया है, उसके बिना भीड़ नहीं आती और उसके सामने रहने पर वोट नहीं पड़ते।

विपक्ष की ओर से लगातार एक्जिट पोल को नकारा जा रहा है और आशा जताई जा रही है कि आस्ट्रेलिया की तर्ज पर यहां के रुझान भी गलत साबित होंगे। सोमवार को अपने ब्लॉग के जरिये जेटली ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब एक स्वर से सभी सर्वे राजग सरकार की बात कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नतीजे भी इसी रूप में आएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में भी एक्जिट पोल ने जो दिखाया था, मोटे तौर पर नतीजा भी वही आया था। उन्होंने कहा, 'एक्जिट पोल में ईवीएम का कोई योगदान नहीं होता और ऐसे में आम चुनाव

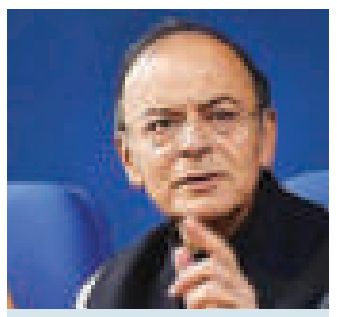

कहा- ऐसा होने पर खत्म हो जाएगा फर्जी ईवीएम का मुद्दा

का वास्तविक परिणाम भी अगर एक्जिट पोल के अनुरूप रहता है तब विपक्ष द्वारा उठाए गए फर्जी ईवीएम मुद्दे का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा।'

जेटली ने कहा कि इस एक्जिट पोल के कई संदेश हैं। भारतीय जनतंत्र के बहुत तेजी से परिपक्व होने के संकेत मौजूद हैं। वोटर कई तरह से संदेश दे रहे हैं, जिसमें यह बात भी शामिल है कि अब वे आपस के विरोधी दलों के गठबंधन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने लिखा, 'राजनीतिक विश्लेषक भ्रमित हैं, लेकिन वोटरों की सोच साफ है। वे कोई ऐसी त्रिशंकु संसद नहीं चुन रहे हैं जहां बेढंगे और अस्थिर गठबंधन के लिए कोई भी भूमिका हो।' जेटली ने लिखा, लोग अब राष्ट्रहित के सामने जातियों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं हैं और वे फर्जी मुद्दों पर भी ध्यान नहीं देना चाहते। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रचार में निजी हमले न तो 2014 में चले और न ही शायद 2019 में उसका कोई असर हुआ। जनता मेधा के आधार पर नेता को चुनती है न कि जाति या परिवार के नाम पर।

इसी क्रम में जेटली ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ नेताओं को यह भ्रम है कि सारा ज्ञान उन्ही के पास है इसीलिए वे किसी भी अन्य विचार से संतुष्ट नहीं हो पाते। यह समझना होगा कि बदलते हुए भारत में वोटर स्पष्ट विचारधारा वाले दल चुनने की इच्छा रखते हैं। अगर राजनीतिक दल 2014 और 2019 के संदेश से नहीं समझे तो जल्द ही मतदाताओं से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी।

'विपक्षी गठबंधन' के 23 मई तक बने रहने की गारंटी नहीं : शिवसेना

▸ मुखपत्र सामना में चंद्रबाबू नायडू के 'प्रयासों' पर भी किया कटाक्ष

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों पर सोमवार को तीखा हमला किया। उसने कहा कि कई छोटे दलों के संभावित गठबंधन की 'रेंगने वाली' सरकार देशहित में नहीं है।

तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयासों पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना ने कहा कि वह बेवजह यहां से वहां भागदौड़ कर रहे हैं, जबकि 23 मई को चुनाव परिणाम आने तक भी इस 'संभावित गठबंधन' के बने रहने की कोई संभावना नहीं है।

शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है, 'इस महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कम से कम पांच उम्मीदवार हैं... मौजूदा संकेतों के बाद उनका मोहभंग होने की आशंका दिखाई दे रही है।' संपादकीय में पिछले कुछ दिनों में चंद्रबाबू नायडू की विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठक का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद दिल्ली (केंद्र) में हालात अस्थिर होंगे और 'वे इससे लाभ कमाना चाहते हैं।' पार्टी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में वामदलों का खाता खुलने की संभावना कम है और आम आदमी पार्टी का पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी यही हश्र होगा। केरल में भी वाम का आधार घटेगा।

कुल 543 में से 542 सीटों के लिए रविवार को चुनाव समाप्त हुआ है और गुरुवार को मतगणना होगी। ज्यादातर एक्जिट पोल ने मोदी की सत्ता में वापसी का अनुमान लगाया है। इनमें से कुछ का कहना है कि भाजपा नीत राजग पूर्ण बहुमत के लिए आवश्यक 272 से ज्यादा 300 सीटें हासिल करेगा।

राहुल गांधी ने कोर्ट से मांगी उपस्थिति से छूट

न्यायालय संवाददाता, पटना : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में दर्ज मानहानि के मामले में सोमवार को अदालत में आवेदन देकर सदेह उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया है। एसीजेएम कुमार गुंजन ने वादी को इस आवेदन का जवाब देने के लिए छह जुलाई की तिथि निश्चित की है। राहुल के खिलाफ अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी था। राहुल गांधी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं इस समय राजनीतिक कारणों से काफी व्यस्त हैं। ऐसे में उन्हें सदेह उपस्थिति से छूट दी जाए।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि से संबंधित परिवाद पत्र दायर किया था। मोदी ने अदालत को बताया था कि राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरू के नजदीक एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी टाइटल वाले सभी चोर होते हैं। मोदी ने अदालत से कहा कि राहुल के इस बयान से उन्हें समाज नीची नजर से देखने लगा है। बयान के बाद सीजेएम की अदालत ने आइपीसी की धारा 500 के तहत राहुल के खिलाफ संज्ञान लेकर 27 अप्रैल को अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी कर दिया था।

राजनाथ, सोनोवाल ने असम की स्थिति की समीक्षा की

▸ एनआरसी के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही 31 जुलाई को नेशलन रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित कानून एवं स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पिछले सप्ताह हुए बम विस्फोट के बाद असम की स्थिति पर ध्यान दिया गया। इस धमाके में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा का हाथ होने का संदेह है।

एक घंटे तक चली बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा, 'असम की वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। हमने एनआरसी के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति के बारे में चर्चा की।' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरा सहयोग दे रही है। इसके साथ ही सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतिम एनआरसी के आने को लेकर किसी भी भारतीय को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

30 जुलाई 2018 को जब एनआरसी का मसौदा प्रकाशित किया गया था तब भारी विवाद मचा था। इसमें से 40.7 लाख लोग बाहर कर

दिए गए थे। कुल 3.29 करोड़ अर्जियों में से 2.9 करोड़ लोगों के ही नाम शामिल किए गए थे। 40.7 लाख लोगों में करीब 30 लाख लोगों को बाहर रख दिया गया। एनआरसी अपडेट प्रक्रिया की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम एनआरसी प्रकाशन की तिथि 31 जुलाई 2019 तय कर रखी है।

एनआरसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख का प्रदर्शन किया है। उसकी निगरानी के कारण ही एनआरसी तैयार करने जैसा बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम पूरा हो सका। केंद्र सरकार की ओर से कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एनआरसी से बाहर रह गए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा और वैध दस्तावेज रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

एससीओ की बैठक में भाग लेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार से किरगिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू हो रही दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें आतंकवाद के खतरे समेत कई सामयिक मसलों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श के अलावा 13-14 जून को बिश्केक में ही होने वाली एससीओ की शीर्ष स्तरीय बैठक के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी।

मालूम हो कि चीन के प्रभाव वाले इस समूह में भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पिछले एक साल से भारत किरगिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ की विभिन्न वार्ताओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता रहा है। किरगिस्तान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यक्रमों में राष्ट्रपति सोरानबाय जेनेबकॉव के साथ एससीओ विदेश मंत्रियों की संयुक्त मुलाकात शामिल है। पिछले महीने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बता दें कि 2001 में गठित हुए एससीओ में भारत 2005 तक ऑब्जर्वर था।

मिले माया-अखिलेश, एक्जिट पोल पर साधी चुप्पी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ बसपा अध्यक्ष मायावती के आवास पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव

▸ एक घंटे तक चली बैठक, चुनाव के संभावित नतीजों पर हुआ मंथन

लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती से मिलते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव।

एक्जिट पोल से नतीजों का अंदाजा सामने आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को बसपा अध्यक्ष मायावती के आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बैठक चली। हालांकि बैठक के बाद अखिलेश कुछ बोलने से बचे और चुप्पी साधकर तेजी से निकल गए। माना जा रहा है कि दोनों के बीच एक्जिट पोल से उभर रही तस्वीर के साथ मतगणना के नतीजे आने तक गठबंधन के रुख को लेकर भी मंथन हुआ।

सपा-बसपा गठबंधन ने एक्जिट पोल से मिल रहे आभास के मुताबिक नतीजे आने के बाद की तैयारी शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी शनिवार को इसी सिलसिले में मायावती और अखिलेश यादव से अलग-अलग मुलाकात की थी। विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे नायडू जहां सपा-बसपा को कांग्रेस के साथ लाने की कोशिश में हैं, वहीं प्रदेश में नतीजों का इंतजार कर रहे ये दोनों दल परिणाम के मुताबिक ही आगे बढ़ने का मन बनाए हुए हैं। सोमवार को मायावती से मुलाकात को भी अखिलेश ने ट्वीट में अगले कदम की तैयारी करार दिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश-मायावती के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों बैठक को लेकर भी चर्चा हुई।

एक्जिट पोल ने सपा-बसपा व रालोद गठबंधन को असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई एजेंसी जहां प्रदेश में गठबंधन को 20 सीटें मिलती दिखा रही है, वहीं दूसरी एजेंसी गठबंधन को 56 सीटें तक दे रही है। आकलन में तीन गुना तक अंतर ने गठबंधन समर्थकों के साथ ही विपक्ष को भी दुविधा में डाल दिया है। हालांकि सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का मानना है कि मौजूदा आंकड़े तो केवल अनुमान भर हैं, असल तस्वीर 23 मई को सामने आएगी। चौधरी कहते हैं कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि गठबंधन के लिए प्रदेश में जबर्दस्त वोटिंग हुई है।

पांचवीं बार पहुंचे अखिलेश : बसपा प्रमुख मायावती से मिलने के लिए उनके आवास पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को पांचवीं बार उनके पास पहुंचे। पहली बार अखिलेश 14 मार्च, 2018 को मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर आभार जताने तब पहुंचे थे, जब गोरखपुर व फूलपुर के उपचुनाव में अघोषित गठबंधन से उन्हें दोनों सीटों पर जीत मिली थी। इसी साल पांच जनवरी को मायावती के दिल्ली स्थित आवास पर अखिलेश गठबंधन को आकार देने गए थे। केवल दस दिन बाद ही 15 जनवरी को माया को जन्मदिन की बधाई देने अखिलेश फिर उनके लखनऊ स्थित घर पर आए थे। 13 मार्च को प्रत्याशी तय करने से पहले भी अखिलेश फिर मायावती के घर गए थे।

अखिलेश और मायावती ने अब तक कुल 23 बार मंच साझा किया है। पहली बार दोनों 23 मई, 2018 को कर्नाटक में शपथग्रहण के मंच पर एक साथ नजर आए थे। फिर इसी साल 12 जनवरी को दोनों नेता गठबंधन के ऐलान के लिए प्रेसवार्ता के मंच पर दिखे थे। सात अप्रैल से 17 मई तक 21 संयुक्त रैलियों में भी दोनों एक साथ मंच पर थे। इसमें 19 अप्रैल की मैनपुरी रैली में अखिलेश व मायावती के साथ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी मंच पर थे।

गडकरी ने एक्जिट पोल की सटीकता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, आइएएनएस : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के एक्जिट पोल का मजाक उड़ाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि यह अंतिम फैसला नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को यह भी संकेत दिया कि भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी। 'पीएम नरेंद्र मोदी' फिल्म का पोस्टर जारी करने के बाद गडकरी ने कहा, 'एक्जिट पोल अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि रुझान है। लेकिन एक्जिट पोल में परिणाम की झलक भी होती है।' 14 में से 12 एक्जिट पोल में राजग को पूर्ण बहुमत मिलने का संकेत दिया है। इस गठबंधन को 282 से 365 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। एक्जिट पोल में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को 82 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। छह एक्जिट पोल में अन्य पार्टियों को यूपीए से ज्यादा सीटें मिलने का संभावना व्यक्त की गई है। भाजपा के अध्यक्ष रह चुके गडकरी ने जोर देकर कहा कि भाजपा की नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। यह चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया है। इससे पहले रविवार को उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा था कि एक्जिट पोल का अर्थ सटीक परिणाम नहीं होता है। हम यह 1999 से जानते हैं। अधिकांश एक्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं।

तैयारी

जीत के प्रमाण पत्र के साथ ही अब मिलेगा लोकसभा का भी फार्म, लोकसभा सचिवालय ने देश भर के जिला मजिस्ट्रेट को भेजे प्रपत्र, परेशानी से बचाने के लिए उठाया कदम

संसद रखेगी जीतकर आने वाले सदस्यों का ख्याल

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव में जीतकर आने वाले 'माननीयों' को इस बार संसद भवन पहुंचने पर किसी भी तरह की असुविधा से नहीं जूझना होगा। लोकसभा सचिवालय ने इसके लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिससे नए सदस्यों को तकलीफ न हो। इनमें सबसे अहम कागजी प्रक्रिया के झंझटों से मुक्ति दिलाना है। अब तक उन्हें संसद भवन पहुंचने पर खुद कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। नई व्यवस्था के तहत उन्हें यह जानकारी पहले से पूरी करके लानी होगी। इससे जुड़े फार्म भी अब उन्हें जीत के प्रमाण पत्र के साथ-साथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

नई लोकसभा के गठन की तैयारियों में जुटे लोकसभा सचिवालय ने इसके तहत सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इससे जुड़े फार्म उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही उन्हें जीतने वाले प्रत्याशियों को तुरंत फार्म उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। अब तक जीतकर आने वाले सासंदों को यह फार्म संसद भवन पहुंचने पर दिए जाते थे, जिसे भरने में उन्हें कई घंटे का समय लगता था। कई बार तो जरूरी दस्तावेज मौजूद न होने पर उन्हें इसे भरने के लिए कई चक्कर लगाने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अब सभी की नजरें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हैं। 23 मई को चुनाव नतीजों के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सोमवार को यहां काम में जुटे श्रमिक। प्रेट्र

लोकसभा सचिवालय ने इसके साथ ही जीतकर दिल्ली आने वाले सासंदों को रिसीव करने और ठहरने के लिए भी बेहतर इंतजाम किए हैं। इसके तहत वेस्टर्न कोर्ट सहित अलग-अलग राज्यों के भवनों में करीब तीन सौ कमरे आरक्षित किए गए हैं। इस बार नए सदस्यों को फाइव स्टार होटल की सुविधा नहीं मिलेगी। सांसदों को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर काउंटर भी खोल जाएंगे।

सांसदों के लिए चौबीसों घंटे काम करेगी हेल्प डेस्क

जीतकर आने वाले सांसदों की मदद के लिए लोकसभा सचिवालय ने एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। यह 23 मई की सुबह से ही सक्रिय हो जाएगी और नई लोकसभा का गठन होने तक चौबीसों घंटे काम करेगी। यह जीतने वाले प्रत्याशियों से तुरंत ही संपर्क कर उन्हें जरूरी जानकारी देगी। इस दौरान उनके दिल्ली आने से लेकर उन्हें रिसीव करने और ठहरने की व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। साथ ही उनकी हर तरह की मदद की जाएगी।

दिल्ली पहुंचते ही सभी माननीयों को मिलेगी एक विशेष किट

नई लोकसभा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस दौरान जीत कर आने वाले सांसदों के लिए एक विशेष किट उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। जिसमें उन्हें संविधान की एक नई प्रति, संसद के रूल्स और हैंड बुक की एक-एक प्रति भी रहेगी। उन्हें बतौर सासंद मिलने वाले सारी सुविधाओं और अधिकार से जुड़ी पूरी जानकारी मौजूद रहेगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी